

आदेश


एतद् द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य की समयावधि के संबंध में जारी किए गए पूर्व आदेशों को अवक्रमित करते हुए विद्यालयों में शिक्षण कार्य की समयावधि के संबंध में निम्नवत् आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

बोर्ड का नाम	कक्षा	शिक्षण कार्य का समय
यूपी. बोर्ड	1 से 12 तक	पूर्वाह्न 07.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक
सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./ अन्य बोर्ड	Students के लिए	
	1 से 8 तक	पूर्वाह्न 07.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक
	9 से 12 तक	पूर्वाह्न 07.30 बजे से न्यूनतम अपराह्न 12.30 बजे तक, अधिकतम अपराह्न 02.00 बजे तक

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./अन्य बोर्ड के प्रधानाचार्यों द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 हेतु विद्यालय छूटने का समय अलग-अलग निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त आदेश सोमवार दिनांक 01 मई, 2023 से 06 मई, 2023 तक प्रभावी रहेगा। तदोपरान्त मौसम के तापमान के अनुसार विद्यालयों की समयावधि के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश की प्रमाणिकता को जनपद की वेबसाइट www.lucknow.nic.in पर चेक किया जा सकता है।



29.4.23
(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ।

पृ० सं०: वैय०सहा०/1004-06 /2023-24 दिनांक : 29 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि -

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की प्रति जनपद की वेबसाइट www.lucknow.nic.in के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- 2- उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को समाचार पत्रों/मीडिया में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी,
लखनऊ।